IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शैक्षणिक प्रभाव मूल्यांकन

सौरभ शुक्ला[1] and डॉ. सचिन कुमार प्रभाकर[2]

अनुसंधान विद्वान, विभाग -शिक्षा[1]

शोध निर्देशक, विभाग -शिक्षा[2]

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) में अनुच्छेद 45 के संबंध में एक निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य को केंद्र के निर्देश का पालन करना होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अब 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई नए शैक्षिक हस्तक्षेप किए हैं जैसे कि मिड-डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में पारंपरिक स्कूली शिक्षा पैटर्न में बदलाव लाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हासिल करने के लिए पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 34 साल पुरानी है, की जगह ले रही है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 2030 एजेंडा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को आवश्यक लचीलेपन के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में बदल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहु-विषयक पहलू छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कदम होगा।

शब्दकोश:- नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत